

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की
धारा-4 (1) ख (3)

मैनुअल संख्या-3

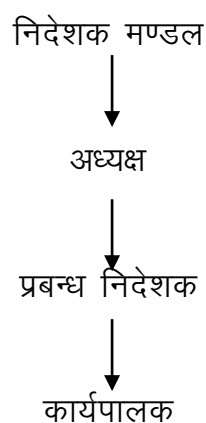
विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और
उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियाँ बरती गयी हैं, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गये हो तो कृपया अवस्थापना भवन, 583, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून- 248001 को डाक द्वारा या टैलीफोन नम्बर 0135-2522941 या ई-मेल bridcul@gmail.com पर सूचित करें।

मैनुअल-3

निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेने के प्रमुख बिंदुओं की पहचान करना

निगम की निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित तंत्र का इस्तेमाल होता है:-



पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही का चैनल

निगम का पूर्ण संचालन निर्देशक मंडल के हाथ में होता है जोकि कम्पनी में उच्चतम निर्णायक होते हैं। निर्देशक मण्डल कम्पनी के शेयर होल्डर जोकि कम्पनी के असली मालिक हैं, के प्रति जवाब देय होते हैं। ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम होने के कारण निर्देशक मण्डल उत्तराखण्ड सरकार के प्रति भी जवाब देय होते हैं।

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अनुसार कतिपय नीतिगत मामलों में कम्पनी के शेयर होल्डरों की आम सभा की सहमति की आवश्यकता भी होती है। इसी प्रकार सरकारी उपक्रम होने के कारण कम्पनी के Articles of Association के अन्तर्गत भी कुछ मामलों में उत्तराखण्ड शासन के दिये निर्देशों के अनुरूप एवं उनकी स्वीकृति के आधार पर कार्य करने होते हैं।

निदेशक मंडल का मुख्य कार्य एक न्यासी के रूप में शेयर होल्डरों के हितों का संरक्षण एवं ख्याल रखना होता है। निदेशक मण्डल निगम के हितों की देख-रेख, कार्पोरेट क्रिया कलापों की समीक्षा, महत्व के निर्णयों की अधिकारिकता एवं अनुश्रवण तथा शेयर होल्डरों की व्यापक हितों की सुरक्षा करता है।

निगम के दैनिक कार्यों की देख-रेख का दायित्व प्रबन्ध निदेशक के ऊपर होता है जिनके सहयोग हेतु अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त हैं।

अंतिम निर्णय लेने का अधिकार

अपने कार्यों को सुचारु संपादन हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक को कुछ ठोस अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं। जिनमें से कुछ अधिकार प्रबन्ध निदेशक द्वारा मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक तथा अन्य अधिकारियों को अपने नियन्त्रणाधीन उप-प्रत्यायोजित कर दिये गये हैं।

प्रबन्ध निदेशक की जवाब देही निदेशक मंडल के प्रति होती है। अन्य अधिकारी सम्बन्धित मुख्य महाप्रबन्धक व महाप्रबन्धक के प्रति जवाब देह होते हैं।

सम्बन्धित प्रावधान अधिनियम नियम आदि

ब्रिडकुल में समस्त कार्य एवं निर्णय उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रचलित नियम, नियमावली, शासनादेश के आधार पर किये जाते हैं।

निर्णय लेने की समय सीमा यदि कोई हो

ब्रिडकुल द्वारा किसी भी विषय पर निर्णय लेने की समय-सीमा विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा उल्लेखित एवं निर्धारित समय-सीमा के आधार पर किया जाता है।